RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 2, Year : 4
Jul.-Aug.-Sep. (2017), Pages : 147 - 152
ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

महिला समाज कल्याण में स्वयंसेवी संगठनों की भुमिकाः एक अध्ययन

परमजीत कश्यप
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

Received : 05/07/2017 *1st BPR* : 06/07/2017 *2nd BPR* : 10/07/2017 *Accepted* : 15/07/2017

ABSTRACT

भारत में स्वयंसेवी संगठन अथवा गैर–सरकारी संगठनों की प्रशासनिक आर्थिक, स्थिति कई स्तरों की है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में लगभग 1.5 लाख सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त हैं। इन कार्यकर्ताओं का वेतन, भत्तों, अवकाश, पद्धोन्नति, बीमा, पेंशन इत्यादि क्रमिक प्रशासन सम्बन्धी दशाएं बहुत शोधनीय है। मुख्यतः दानी मानी सज्जनों तथा सरकारी कार्यक्रमों के तहत मिलने वाली सहायता अनुदान राशि पर निर्भर करती है। इस अस्थायी तथा असुरक्षित स्थिति को देखते हुए कर्मचारीगण पूर्ण मनोयोग से कार्य नही करते तथा सदैव सरकारी सेवाओं को पाने का प्रयास करते हैं। स्वयंसेवी संगठन वास्तव में समाज कल्याण के लिए गठित हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। स्वयंसेवी संगठनों के निर्माण के पीछे बेरोजगारी से पीछा छुड़ाना तथा अन्य धार्मिक सांस्कृतिक स्वार्थ की पूर्ति करना भी हो सकता है। स्वयंसेवी संगठन किसी भी आर्थिक दशा को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उन क्षेत्रों तक पहुंचने में प्रभावी होते हैं जहां सरकार भी नही पहुंच पाती। नारीवाद के इतिहासकारों ने बहुत पहले इस बात पर गौर किया कि 11वीं सदी की परोपकारिता ने एक मार्ग की पेशकश की। पश्चिमी समाज की महिलाओं को नीजी से सार्वजनिक क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाने में सहायता की। स्वयंसेवी संगठन सरकार के कार्यों को आसान कर देते हैं। कल्याणकारी कार्यों में जनता का प्रत्यक्ष योगदान भी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा ही मिल पाता है। सरकार कर लगाए और उस आय को जनकल्याण के कार्यों पर व्यय करे तो जनता ऐसे कार्यक्रमों में रूची नहीं ले पाती। लेकिन स्वयंसेवी संगठन जो भी चन्दा एकत्रित करते हैं, उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप में जनता को तुरंत ही मिलता है।

परिचय

भारत में स्वयंसेवी संगठनों का इतिहास राजकीय संगठनों के इतिहास से भी पुराना है। समाज कल्याण का कार्य यद्यपि आज मुख्यतः राज्य द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है किंतु केवल राज्य का प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सरकारी तथा गैर–सरकारी स्वयंसेवी संगठनों का होना परम आवश्यक है। भारत जैसे विकासशील देशों में स्वयंसेवी संगठनों का महत्व बढ़ गया है। भारत में युगों से ही समाजसेवी व्यक्ति तथा स्वयंसेवी संगठन जनकल्याण के लिए प्रत्येक क्षेत्र में काम करती रही है कि पुराने समय में जीवन की समस्याएं आज जितनी जटिल नहीं थी, फिर भी यह एक तथ्य है कि स्वयंसेवी संस्थाएं मठों, आश्रमों तथा गुरूकुलों के माध्यम से जनकल्याण का कार्य करती रही है। मध्ययुग से लेकर ब्रिटिश काल तक हमारे शासक जनकल्याण के कार्य में रूचि लेते थे। पिछले 40 वर्षों में जितनी समाज कल्याण संस्थाएं बनी वे प्रायः स्वयंसेवी थी। इन्हें धनी और साधारण व्यक्ति ने चन्दे से चलाया तथा समाज सेवियों ने अपनी अन्तरात्मा से प्रेरित होकर ही उनमें योगदान दिया।

प्रत्येक समाज में स्वयंसेवी संगठनों की स्थिति उसके व्यवहारिक महत्व पर निर्भर करती है। आधुनिक युग में स्वयंसेवी संगठन समाज के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। स्वयंसेवी संगठनों के कारण सामाजिक विकास हुआ है तथा इन संगठनों के सफल संचालन से समाज में क्रान्ति आई है, जो समाज को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका सामाजिक हित के लिए महत्वपूर्ण रही है। आदर्शात्मक रूप में, स्वयंसेवी संगठन प्रजातंत्र एवं व्यक्तियों के व्यक्तित्व को सुरक्षित रखते हैं।

स्वयंसेवी संगठन केवल राज्य क्षेत्रों में ही भूमिका अदा नहीं करते अपितु वे नयी आवश्यकताओं में जाने का जोखिम उठा सकते हैं। नये क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं तथा ऐसी आवश्यकताएं जिनकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई है अथवा जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि और ध्यान दे सकते हैं। वे विकास क्रान्ति को दर्शाने वाले निर्माता एवं अभियन्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 147-152 , ISSN 2348 – 3318
परमजीत कश्यप
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

सर्वेक्षण दल के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे परिवर्तन अग्रगामी बनकर परिवर्तन को कम कष्टदायक बना सकते हैं। वे प्रगति एवं विकास के लिए कार्य करके कालान्तर में राज्य की गतिविधियों को व्यापकतर क्षेत्रों में विकसित करने में सहायता कर सकते हैं। जिससे राष्ट्रीय न्यूतम की वृद्धि होगी।

भारत में स्वयंसेवी संगठन अथवा गैर–सरकारी संगठनों की प्रशासनिक आर्थिक, स्थिति कई स्तरों की है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में लगभग 1.5 लाख सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त हैं। इन कार्यकर्ताओं का वेतन, भत्तों, अवकाश, पदोन्नति, बीमा, पेंशन इत्यादि क्रमिक प्रशासन सम्बन्धी दशाएं बहुत शोधनीय है। मुख्यतः दानी मानी सज्जनों तथा सरकारी कार्यक्रमों के तहत मिलने वाली सहायता अनुदान राशि पर निर्भर करती है। इस अस्थायी तथा असुरक्षित स्थिति को देखते हुए कर्मचारीगण पूर्ण मनोयोग से कार्य नही करते तथा सदैव सरकारी सेवाओं को पाने का प्रयास करते हैं। स्वयंसेवी संगठन वास्तव में समाज कल्याण के लिए गठित हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। स्वयंसेवी संगठनों के निर्माण के पीछे बेरोजगारी से पीछा छुड़ाना तथा अन्य धार्मिक सांस्कृतिक स्वार्थ की पूर्ति करना भी हो सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्वयंसेवी संगठनों की संज्ञा तो बढ़ रही है किन्तु समाज कल्याण के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता, निस्वार्थ भावना तथा कर्मठता का पतन हुआ है।

स्वयंसेवी संगठन किसी भी आर्थिक दशा को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उन क्षेत्रों तक पहुंचने में प्रभावी होते हैं जहां सरकार भी नही पहुंच पाती। निजी क्षेत्र की उधमशीलता के पनपने और एक उच्च विकास दर के योगदान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के चलते, स्वयंसेवी संगठनों के कार्य करने के तरीके में बदलाव आया है। स्वयंसेवी संगठन महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं एवं गतिविधियां तैयार कर सकती हैं। नारीवाद के इतिहासकारों ने बहुत पहले इस बात पर गौर किया कि 11वीं सदी की परोपकारिता ने एक मार्ग की पेशकश की। पश्चिमी समाज की महिलाओं को नीजी से सार्वजनिक क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाने में सहायता की।

स्वयंसेवी संगठन व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करके समिति बनाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार को मूर्त अभिव्यक्ति प्रदान करना इन आवश्यकताओं की सरकारी सहायता, अनुदानों अथवा निजी संसाधनों द्वारा पूर्ति हेतु परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरम्भ करना, नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रावधान करने में राज्य के दायित्वों में अंशदान देना, आपूर्ति आवश्यकताओं के क्षेत्रों की पूर्ति करना, सरकार की एकाधिकार प्रवृत्तियों को रोकमना, सेवा भावना से भरपूर व्यक्तियों को लोक कल्याण के वर्द्धन हेतु स्वयं को संगठित करने के अवसर प्रदान करना, लोगों को उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक करना। लोगों को सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी देना, प्रचार माध्यमों द्वारा लोक समर्थन प्राप्त करना।

स्वयंसेवी संगठन का अर्थः

स्वयंसेवी संगठन की उपाधि लेटिन भाषा के शब्द Voluntarism से हुई है, जो मूलतः Voluntas से विकसित हुआ है जिसका अर्थ है इच्छा या स्वतंत्रता। यह इच्छा, किसी भी संगठन के निर्माण के रूप में उत्पन्न होती है। स्वयंसेवी संगठन वह संगठन है जिसके कार्यकर्ता चाहे वेतनभोगी हो अथवा न हो लेकिन जिसकी पहल एवं प्रसाधन इसके सदस्यों के द्वारा बिना बाहरी नियंत्रण के किया जाए।

स्वयंसेवी संगठनों के कार्य अपनी प्रकृति के कारण स्थानीय होता है। एक क्षेत्र के निवासी अपने स्वयंसेवी प्रयासों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रयोग प्रजातंत्र की मूल आत्मा है। सामाजिक चेतना और विश्व प्रेम से प्रभावित एक स्वतंत्र समाज में ऐसे अभिकरण बनते और कार्य करते हैं। अनेक बार एक स्वयंसेवी अभिकरण व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम होता है, लेकिन जनतंत्र में अब यह कार्य किसी संगठन के द्वारा किया जाता है। संगठनात्मक प्रयास का लाभ यह है कि इसमें अनेक लोगों की मेहनत का सही रूप में उपयोग हो जाता है, कोई दोहराव नहीं होता।

प्रारंभ से ही इन स्वयंसेवी संगठनों ने समाज कल्याण सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आग लगने, बाढ़ आने, अकाल पड़ने जैसे संकटों के समय इनका राहत कार्य पर्याप्त सराहनीय होता है। ये आवश्यकता मन्द, निराश्रित, अपंग लोगों की सहायता करने में प्रशंसनीय कार्य करते हैं। ये सरकारी कार्य की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। इन स्वयंसेवी संगठनों में जो मानवीय स्पर्श तथा दृष्टिकोण की लोचशीलता मिलती है उसका सरकारी संस्थाओं में प्राय अभाव रहता है। स्वयंसेवी संगठन सरकार के कार्यों को आसान कर देते हैं। कल्याणकारी कार्यों में जनता का प्रत्यक्ष योगदान भी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा ही मिल पाता है। सरकार कर लगाए और उस आय को जनकल्याण के कार्यों पर व्यय करे तो जनता ऐसे कार्यक्रमों में रूची नहीं ले पाती। लेकिन स्वयंसेवी संगठन जो भी चन्दा एकत्रित करते हैं, उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप में जनता को तुरंत ही मिलता है।

स्वयंसेवी संगठनों की परिभाषा

भारत में सामाजिक हित के लिए स्वयंसेवी कार्य की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। भारतीय संविधान की धारा 11 (1) (c) के अन्तर्गत भारतीय नागरिक समुदाय बनाने का अधिकार प्राप्त है। समुदाय की स्वतंत्रता मानव स्वतंत्रताओं में प्रमुख है। यह मनुष्यों के लिए किसी उद्देश्य के लिए समुदायित होने की व्यापक स्वतंत्रता है। वे किसी कार्य को स्वयं कराने, अन्याय अथवा अत्याचार का

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 147-152 , ISSN 2348 – 3318
परमजीत कश्यप
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

विरोध करने, किसी महत्वपूर्ण लोक उद्देश्य का अनुधान करने के लिए इकट्ठा होने की इच्छा रख सकते हैं।

स्वयंसेवी संगठनों को ऐच्छिक संगठन या गैर–सरकारी संगठन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर इन्हें गैर सरकारी संगठन को NGOs (Non Government Organisation) के नाम से अधिक जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें volgas (Voluntary Agencies) या AGs (Action Groups) भी कहते हैं।

स्वयंसेवी संगठनों की संगठनात्मक गतिशीलता एवं सहभागी अधिशासन पर शोध कार्य करने वाले ''धर्मेन्द्र मिश्रा'' का मानना है कि स्वयं सेवी संगठनों को गैर–सरकारी संगठन कहने से नाकारात्मक अर्थ निकलता प्रतीत होता है। अतः इन्हें स्वयंसेवी संगठन कहना अधिक उपयुक्त है। डेविड एल0 सिल्स के शब्दों में, ''स्वयंसेवी संगठन ऐसे सदस्यों का समूह है जो कुछ सामान्य हितों की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक आधार पर संगठित होते हैं तथा राज्य के नियंत्रण पर संगठित होते हैं तथा राज्य के निंयत्रण के बिना कार्य करते हैं।''

स्मिथ एवं फेडमैन के अनुसार ''स्वयंसेवी संगठन औपचारिक रूप से संगठित तथा तुल्नात्मक दृष्टि से स्थायी द्वितीयक समूह है जो उन अनौपचारिक अस्थायी एवं प्राथमिक संगठनों से भिन्न होते हैं, जिन्हें हम प्रायः देखते हैं।''

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ''स्वयंसेवी संगठन वह है जो अपने स्वायसशाही मण्डल के द्वारा संचालित होता है, वित्तिय संसाधन जुटाने हेतु मूलतः निजि स्त्रोतों पर निर्भर होता है तथा जन कल्याण हेतु वैतनिक क्रमिक रखते हुए सामाजिक कार्यक्रम क्रियान्वयन, जनमत निर्माण, अनुसंधान क्रियाएं, विधान निर्माण सहायता तथा सामाजिक विकास मे स्वैच्छिक सहयोग प्रदान करता है।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारतवर्ष के सभी नागरिकों (महिलाओं सहित) सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान महिलाओं के प्रति किए जा रहे भेद–भाव को समाप्त करते हैं और उन्हें विशेष संरक्षण उपलब्ध कराते हैं।

- अनुच्छेद 915 के अनुसार भारतवर्ष के समस्त नागरिक (महिलाओं सहित) कानून की दृष्टि में समान है तथा उन्हें कानूनों से समान संरक्षण पाने से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई है कि समता का प्रावधान महिलाओं एवं बच्चों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधानों के लिए जाने के मार्ग में बाधक नहीं होगा।
- अनुच्छेद 16(2) में प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन किसी भी सेवायोजना या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, जाति, लिंग, स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसके साथ भेद–भाव किया जाएगा।
- अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों के विधि द्वारा असमान व्यापार के सभी स्वरूपों एवं बेगार के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद–51 के अनुसार महिलाओं सहित सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है तथा धारा–54 के अनुसार राज्य को यह निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए जाएं।
- अनुच्छेद–39(क) में यह प्रावधान किया गया है कि पुरूष एवं जीविकोपार्जन के लिए राज्य अपनी नीति का निर्माण करेगा।
- अनुच्छेद–39(घ) के अन्तर्गत पुरूषों एवं महिलाओं के लिए समाज कार्य के अवसर व समान वेतन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद–39(ड) में यह प्रावधान किया गया है कि महिला एवं पुरूषों दोनों के श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद–51 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि उसके द्वारा महिलाओं तथा पुरूषों दोनों को बेकारी, वृद्धवस्था, बीमारी एवं विकलांगता की स्थिति में जन सहायता उपलब्ध कराने हेतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभावशाली प्रावधान किए जाएंगे।
- अनुच्छेद–52 के अनुसार राज्य को यह निर्देश दिया है कि वह महिलाओं को मातृत्व लाभ उपलब्ध कराएगा।
- अनुच्छेद–19(ग) के अन्तर्गत भारतवर्ष के सभी नागरिकों (महिलाओं एवं पुरुष दोनों) को समिति या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद–325 में यह व्यवस्था की गई है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित किए जाने की दृष्टि में अपात्र नहीं होगा।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 147-152 , ISSN 2348 – 3318
परमजीत कश्यप
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

- अनुच्छेद–326 में कहा गया है कि भारतवर्ष के प्रत्येक ऐसे नागरिक (महिलाओं सहित) जो 18 वर्ष की आयु का है, को मत देने का अधिकार है।
- अनुच्छेद–253 (घ) तथा अनुच्छेद–252(न) के अधीन महिलाओं के लिए पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण का प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–37 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रयास करेगा जिसमें एक ऐसी सामाजिक संरचना की स्थापना हो सके जिसमें राष्ट्र की समस्त संस्थाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय मिल सके। इस प्रकार भारत एक कल्याणकारी राज्य है जो इसकी स्थापना के लिए 14 मार्च, 1950 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया जो अभि तक बारह पंचवर्षीय योजनायें बना चुका है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)

इस योजना में समाज कल्याण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति रखा गया। इसका तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अवसर एवं सामाजिक शान्ति की प्राप्ति करने से है। इस योजना में समाज कल्याण का नियोजित विकास प्रारंभ किया गया तथा बच्चों, महिलाओं, सामाजिक एवं आर्थिक निर्बल वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था की गई।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61)

पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में यह योजना काफी उच्चकांक्षी थी। इस योजना का मूल उद्देश्य अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से औद्योगिकरण करना और भारतीय समाज को समाजवादी ढांचे का बनाने के लिए विभिन्न वर्षों में आय एवं धन के वितरण में अधिक समानता लाना था। इस योजना के अन्तर्गत विकासात्मक कार्य को तीव्रसर करने का प्रयास किया गया था कि निर्धनता तथा बेरोजगारी के दबाव को कम किया जा सके। इस योजना में जनसाधारण की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया और उनकी आय में इतनी वृद्धि की कल्पना की गई जिसमें कि वे अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त कर सके।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66)

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पहले से चली आ रही योजनाओं को सुदृढ़ करना रखा गया तथा कुछ सीमा तक नयी योजनाओं का विस्तार सीमित रहा। इस योजना में इस बात पर बल दिया किया कि साधनों का अधिक अच्छा प्रयोग करने और सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि केन्द्रीय एवं राज्य संस्थायें अधिक प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करें। इस योजना में सीमित धन आंबटित होने के कारण समाज कल्याण के क्षेत्र में प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया। प्रथम प्राथमिकता पर बाल कल्याण को रखा गया। द्वितीय प्राथमिकता महिलाओं की शिक्षा एवं सेवायोजना के अवसर उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यक्रमों को प्रदान की गई। इसके बाद शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों जैसे नेत्रहीन, विकलांग, बधिर, मानसिक रूप से मंदित, वृद्ध, दुर्बल इत्यादि के कल्याण पर ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण के क्षेत्र में सामाजिक प्रतिरक्षा, सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य, शोध सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74)

चौथी पंचवर्षीय योजना में तीसरी पंचवर्षीय योजना की नीतियों और कार्यक्रमों को जारी रखा गया परन्तु इसमें निराश्रित बच्चों, परिवार नियोजन कार्यक्रमों और तकनीकी प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया गया। अतः इस अवधि में शुरू की गई परियोजनाओं का संबंध मुख्य रूप से बच्चों के कल्याण, पूरक अनुसंधान प्रशिक्षण, स्वयंसेवी संगठनों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता आदि से था। तीसरी, चौथी एवं अंतरिम योजना में महिलाओं के लिए शिक्षा, प्रसवपूर्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए पूरक पोषण का प्रावधान था।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79)

पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने और आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर ध्यान दिया गया। सामाजिक कल्याण एवं नीति पर बल दिया गया। इसमें महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह बदलाव महिलाओं के कल्याण से विकास की ओर था। इस योजना के अन्तर्गत निवारक सेवाएं और विकास कार्यक्रमों की भूमिका पर जोर दिया गया जो सामाजिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अपनी क्षमता पहचानने में सक्षम बनाएगी तथा उनका पूर्ण से विकास करेगी। इसके अन्तर्गत कई सेवाओं को शुरू किया गया, जिसमें बाल विकास सेवा, शिशु देखभाल और सरंक्षण की जरूरत

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 147-152 , ISSN 2348 – 3318
परमजीत कश्यप
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

वाले बच्चों की सेवा इत्यादि सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया गया।

छठीं पंचवर्षीय योजना (1980–84)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना रखा गया, साथ ही लोगों को जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना था विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की, आय और धन वितरण की असमानता को कम करने एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियां बनाना। इस योजना ने महिला विकास को एक अलग एजेंडा के रूप में स्वीकार किया। इस योजना ने सामाजिक कल्याण की एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य परिवार नियोजन, आवास और शहरी विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता, श्रम कल्याण आदि को सम्मिलित किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1984–90):

सातवीं योजना में रोजगार के अवसरों में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु कृषि, ग्रामीण विकास, कुटीर एवं लघु उद्योग, भवन निर्माण, प्रशासन एवं अन्य सेवाओं का विस्तार को सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था वही अनुसूचित जाति एवं जन–जातिय परिवारों के पुनर्वास एवं वस्त्रों के जन–वितरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। इस योजना विधि में एक नया कार्यक्रम जवाहर रोजगार लागू किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनों के लिए बहुत पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था करना था। नेहरू रोजगार योजना मुख्यतः शहरी क्षेत्रों के बेराजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्रियान्वित किया गया था जबकि शहरी सूक्ष्म उधम योजना के अन्तर्गत शहरी निर्धनों को लघु उद्योग हेतु आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार सातवीं योजनाकाल में निर्धनता निवारण हेतु ग्रामीण विकास और रोजगार के अधिकाधिक सृजन को माध्यम बनाते हुए पूरी ताकत के साथ बहुत से कार्यक्रमों को लागू किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में 3.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बुनकरों, दर्जियों तथा बीड़ी बनाने वालों के अतिरिक्त ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक औजारों की आपूर्ति के लिए जहां ग्रामीण कारीगरों को सुधरे औजारों की आपूर्ति योजना को लागू किया गया था वहीं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लागों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। इसी तरह खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे बाल श्रमिकों को हटाकर उन्हें स्कूल भेजने और रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण देने हेतु ''बाल श्रम उन्मूलन योजना को क्रियान्वित किया गया। इस योजना में असंरचनात्मक संरचना को मजबूत बनाने के साथ–साथ शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्ग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई।

नौंवी पंचवर्षीय योजना (1998–2002)

इस योजना के अन्तर्गत भी निर्धनता उन्मूलन हेतु चलाये गए कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना, गरीबी मिटाना, पंचायती राज संस्थाओं का विकास करना, स्वयंसेवी संगठनों का विकास था। इस योजना का मूलमंत्र, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण नीति महिलाओं सशक्तिकरण था। योजनाओं की रणनीति महिलाआं के लिए चल रहे 'सामाजिक सुरक्षा, कार्यक्रमों को नया स्वरूप सुनिश्चित करना था जिससे वो अपनी लैंगिक समानता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। महिलाओं को अधिक जानकारी, संसाधनों और सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना को तैयार किया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2008–12)

इस योजना को तैयार करते समय संचालन समिति की पहली बैठक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया गया और पिछली चार योजनाओं में महिलाओं के स्थान पर अपर्याप्त शैक्षिक स्थिति पर मूल्यांकन किया कि पुरूष साक्षरता दर में महिलाएं कितनी पीछे हैं। साथ ही महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया। स्त्री पुरूष की विषमता को दूर किया जाए। इसके अलावा संचालन समिति ने अन्य कई बातों को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार की।

1. हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए महिलाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।
2. कानूनी एवं दृढ़ प्रशिक्षण द्वारा सभी राजनैतिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए।
3. प्रभावी नीतियों और कानूनों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, शारीरिक एवं हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाए।
4. महिला शिक्षा को समावेशी शिक्षा के माध्यम से अधिक तीव्र गति से विकास करने पर बल दिया जाए।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 147-152 , ISSN 2348 – 3318
परमजीत कश्यप
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17):

योजना आयोग ने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10 फीसदी आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैश्विक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसी के चलते ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की रफ्तार को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया है। यही वजह थी कि इस दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.8 प्रतिशत हो गई थी। जबकि इससे पहले के तीन वर्षों में नौ फीसदी से अधिक की दर से आर्थिक विकास हुआ। बीते वित्त वर्ष की 2009–10 में अर्थव्यवस्था में सुधार से आर्थिक विकास दर से थोड़ा बल मिला और यह 8.5 फीसदी तक पहुंच गई। अब सरकार चालू वित्त वर्ष में इससे बढ़कर 7.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है।

निष्कर्षः

स्वयंसेवी संगठन सरकारी संगठनों की कार्यशैली तथा संरचना से बिल्कुल अलग होते हैं। अनौपचारिक सम्बन्धों तथा कार्यप्रणाली मे स्वायत्तता के कारण इन संगठनों की सामाजिक कल्याण में अति आवश्यकता है। कानूनी कायदों की पाबन्दी से मुक्त ये संगठन अपनी कार्य संस्कृति को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। इन संगठनों के निर्माण में सरकारी प्रयासों की बजाय कुछ व्यक्तियों की इच्छा शक्ति ही निर्णायक होती है। इनके निर्माण में अत्यधिक सोच विचारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल कुछेक व्यक्तियों की सलाह एवं एकता शक्ति पर ही निर्माण कर दिया जाता है। विशेषताओं की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है।

- जन कल्याणकारी इन संगठनों का निर्माण जन कल्याण के लिए ही किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों का विकास करना होता है। स्वयंसेवी संगठनों का जन्म स्वतः जनता की ही पहल का परिणाम होते हैं। ये संगठन उन क्षेत्रों में कल्याणकारी सेवाएं आयोजित करते हैं जिनमें अभीतक प्रारम्भ नही हो सकी है।
- बाहरी नियंत्रण से मुक्त ये संगठन किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहते हैं। इनमें संगठन के सदस्य ही संगठन की व्यवस्था बनाते हैं। इन संगठनों पर किसी प्रकार का कोई दबाव नही रहता। ये संगठन अपने विकास कार्यो की रूप–रेखा स्वयं तैयार करते हैं।

सन्दर्भ सूची

- एस.आर.बिल्लोरे 'समाज–कार्य का परिचय', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 302003 (राज.), पृ. 131
- दयाकृष्ण मिश्र एवं राठौड़, 'सामाजिक प्रशासन' कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1998, पृ. 251
- सचदेव, डी.आर., 'भारत में समाज कल्याण प्रशासन', इलाहाबाद, किताब महल 1994, पृ. 183
- एस.के. शर्मा, गैर सरकारी, दि ट्रिब्यून, तिथि 28 जून, 1991
- सुरेन्द्र कटारिया, 'समाजिक प्रशासन' आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2010, पृ. 326, 328
- वूमन एण्ड प्लानंस, देवकी जैन, योजना, मिनिस्ट्री इन्फोरमेशन एण्ड ब्रोडकासटिंग, न्यू दिल्ली, 2007, पृ. 61
- अग्रवाल के. संजय, टेक्शेसन इशू एण्ड प्लानिंग फॉर एन.जी.ओ./एन.पी.ओ., इन जरनल ऑफ दा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटैंटस ऑफ इण्डिया, जून 2006, वाल्यूम 55, नं. 12, पृ. 1749
- मंजूला बी.सी., 'महिला सशक्तिकरण और स्वैच्छिक संगठन''
- के.डी. गंगटेड, डवैल्पमैंट ऑफ वाल्यूंट्री आक्शन इंसाइक्लोपीड़िया ऑफ सोशल वर्क, मिनिस्ट्री ऑफ वेल्फेयर, गवरमैंट ऑफ इण्डिया, न्यू दिल्ली, पृ. 227